

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 0 / / 2020 (Bank Case)

“एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड” (जो पूर्व में “एयू. फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री श्रीनाथ सोनी (ऋणी)
पता- 99, ढाबा देह रोड, मोडक स्टेशन, कमलपुरा जिला कोटा, राजस्थान-326517
2. सुनील कुमार पुत्र श्रीनाथ सोनी (सहऋणी)
पता- 99, ढाबा देह रोड, मोडक स्टेशन, कमलपुरा जिला कोटा, राजस्थान-326517
3. श्रीमती निर्मला सोनी पत्नी श्रीनाथ सोनी (सहऋणी)
पता- वार्ड नं0 13, मेन चौराहा, आईसीआईसीआई बैंक के पास, कमलपुरा जिला कोटा राजस्थान-326517
4. श्रीनाथ सोनी पुत्र श्री रामचन्द्र सोनी (सहऋणी-बंधककर्ता)
पता- वार्ड नं0 13, मेन चौराहा, आईसीआईसीआई बैंक के पास, कमलपुरा जिला कोटा राजस्थान-326517
दूसरा पता- प्लॉट नं0 99, पट्टा नं0 22, ग्राम ढाबादेह, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि “एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड” (जो पूर्व में “एयू. फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान से अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.07.2017 को रुपये 8,50,000/- (अक्षरे: रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्रीनाथ सोनी पुत्र श्री रामचन्द्र सोनी, प्लॉट नं0 99, पट्टा नं0 22, ग्राम ढाबादेह, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 स्क्वायर फुट हैं (जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1992, कार्यालय उप पंजीयक रामगंजमण्डी जिल कोटा, राज0) तथा


दिनांक: 07.01.2020


जिला कलेक्टर
कोटा

चतुर्थ सीमा- पूर्व में जमीन बटूर बाई, पश्चिम में रोड, उत्तर में कन्हैयालाल का मकान, दक्षिण में मोहम्मद हनीफ का मकान हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 13.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 7,96,746/- (अक्षरे रूपये सात लाख छियाणवे हजार सात सौ छियालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उससे खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस को हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।


हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं "इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीनाथ सोनी पुत्र श्री रामचन्द्र सोनी, प्लॉट नं० 99, पट्टा नं० 22, ग्राम. ढाबादेह, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 स्क्वायर फुट हैं (जर्बे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.1992, कार्यालय उप विभागीयक रामगंजमण्डी जिला कोटा, राज०) तथा चतुर्थ सीमा- पूर्व में जमीन बटूर बाई, पश्चिम में रोड, उत्तर में कन्हैयालाल का मकान, दक्षिण में मोहम्मद हनीफ का मकान हैं, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का


जिला कलेक्टर
कोटा

विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया ।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा